प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त,
जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या - 4233/जी0-धारा-6(1)रिट/19-20 दिनांक 16 सितम्बर, 2023

विषय- चकबन्दी प्रक्रियाधीन ऐसे ग्राम जहाँ पर चकबन्दी कियाओं को बढ़ाया जाना सम्भव न हो, जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6 (1) के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूरे प्रदेश में कुल 2591 ग्रामों में चकबन्दी कियायें प्रचलित हैं। इन ग्रामों में ऐसे भी ग्राम सम्मिलित है, जिसमें चकबन्दी कियायें अधिक वर्षो से गतिमान हैं, परन्तु इनमें अन्तिम स्तर तक अर्थात धारा-52 (1) की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि आप अपने जनपद में ऐसे समस्त ग्रामों को चिन्हित कर लें, जिनमें कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण न हो और ग्राम में गतिमान चकबन्दी को पूरा किया जाना सम्भव न हो पा रहा हो। उक्त सभी ग्रामों में सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की समिति गठित करके ग्राम में पूर्व निर्धारित प्रपत्र का वितरण कराकर चकबन्दी कराये जाने अथवा न कराये जाने के विषय में कृषकों की भी सहमति प्राप्त कर लें। यदि ऐसे चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत गतिमान ग्रामों में चकबन्दी कियायें पूर्ण किया जाना सम्भव न हो तो नियमानुसार सभी प्ररूपों में आधारभूत तथ्यों का उल्लेख करते हुए यथाशीघ्र धारा-4 (2) अथवा धारा-4क (2) की विज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु अधिनियम की धारा-6 (1) के अन्तर्गत संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी० एस० नवीन कुमार)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त ।</u>

<u>प्रतिलिपि -</u>

1. निदेशक, पंचायतीराज को इस अनुरोध के साथ कि वह अपने स्तर से भी सभी जिला पंचायतीराज अधिकारीगण को निर्देशित कर दें कि ग्राम में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप जिलाधिकारी की समिति द्वारा ग्रामवासियों के साथ की जाने वाली बैठक में उपस्थित रहें और अपना भी अभिमत प्रदान करें।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वह अपने स्तर से सभी खण्ड विकास अधिकारीगण को निर्देशित करने का कष्ट करें कि यदि उनके विकास खण्ड में ऐसे ग्रामों की बैठक होती है तो वह भी उपस्थित होकर चकबन्दी कर ये जाने अथवा न कराये जाने के विषय में अपना लिखित अभिमत प्रदान करें।
3. समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी से समन्वय स्थापित कर जनपद के ऐसे सभी ग्रामों का परीक्षण करें तथा सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके धारा-6 (1) के अन्तर्गत संस्तुति प्रेषित करने के पूर्व सभी बिन्दुओं का नियमानुसार स्वयं परीक्षण कर लें। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा लापरवाही की जाती है तो यह क्षम्य न होगी।

(अनुराग पटेल)
अपर आयुक्त चकबन्दी,
कृते आयुक्त